उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-17/2022/203प्र0स0/92-2-2022-33जॉच/2018

लखनऊ :: दिनांक:: 15 जुलाई 2022

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद-मेरठ में विकास निधि योजनान्तर्गत ग्राम-रोहटा में मस्जिद से मन्दिर तक इण्टरलांकिग टाइल्स कार्य की अन्वेषण, तकनीकी, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, मेरठ की जॉच में 80 एम0एम0 रबर मोल्ड टाइल्स के प्राविधान के विपरीत सामान्य टाइल्स का प्रयोग करने, भुगतान सामान्य टाइल्स का न कराकर 80 एम0एम0 रबर मोल्ड का कराने के फलस्वरूप परिलक्षित शासकीय क्षति रू0 23,020.00 हेतु, उत्तरदायित्वों का निर्वाहन करने, विशिष्टियों का अनुपालन न करने, शासकीय अभिलेखों में जालसाजी करने आदि के लिये श्री शालभद्र कुमार जैन, तत्कालीन अवर अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मेरठ सम्प्रति प्रखण्ड-अमरोहा के विरूद्ध निदेशालय के कार्यालय ज्ञापसंख्या-3206/ग्रा0अ0वि0/स्था0-3/अव0अभि0/व्य0प0-एस/2018-19 दिनांक 26.04.2018 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 में निहित प्राविधानों के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मुरादाबाद को जॉच अधिकारी नामित किया गया। जॉच अधिकारी द्वारा नियमानुसार जॉच कार्यवाही पूर्ण करते हुये जॉच आख्या नियुक्ति प्राधिकारी/निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पत्र संख्या-1847/ग्रा0अ0वि0/आशु0/जांच-शालभद्र कुमार जैन/ 2019-20 दिनांक 20.12.2019 द्वारा उपलब्ध करायी गयी। जॉच अधिकारी की जॉच आख्या में प्रमाणित पाये गये आरोपो के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी/निदेशक एवं मुख्य अभियंता द्वारा पत्र दिनांक 20.01.2020 द्वारा अपचारी अधिकारी श्री जैन का अभ्यावेदन मॉगा गया, जो उनके पत्र दिनांक 23.06.2020 द्वारा उपलब्ध कराया गया।

2- नियुक्ति प्राधिकारी/निदेशक एवं मुख्य अभियंता द्वारा जॉच अधिकारी की जॉच आख्या, अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन एवं अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त श्री शालभद्र कुमार जैन, तत्कालीन अवर अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मेरठ सम्प्रति प्रखण्ड-अमरोहा को निर्माण कार्य पर जान बूझकर प्राविधानित विशिष्टियों के सापेक्ष निम्न विशिष्टियों का भुगतान कराये जाने हेतु उत्तरदायी पाते हुये निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या-61/अव0अभि0/व्य0प0/एस-278/पत्रा0सं0-222/ 2021-22 दिनांक 10.05.2021 द्वारा उन्हें निम्नवत दण्ड देते हुये समाप्त की गयी :-

1- एक वेतनवृद्धि (2021-22) स्थाई रूप से रोकी जाती है।

2- विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि (2021-22) प्रदान की जाती है।

3- सत्यनिष्ठा रोकी जाती है।

3- उक्त दण्डादेश के विरूद्ध प्राप्त श्री शालभद्र कुमार जैन, अवर अभियंता के अपीलीय प्रार्थना पत्र दिनांक 04.10.2021 व निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र दिनांक 20.05.2022 द्वारा अपीलीय प्रार्थना पत्र में उल्लिखित कथनों के संबंध में उपलब्ध करायी गयी संस्तुति सहित आख्या एवं अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त पाया गया कि श्री शालभद्र कुमार जैन, अवर अभियंता द्वारा प्रश्नगत मार्ग पर सभी पुरानी साधारण टाइल्स को हटवाकर रबर मोल्डेड

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

टाइल्स लगाकर पुन: उसी धनराशि में निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया गया। दिनांक 09.08.2019 को अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मेरठ द्वारा किये गये निरीक्षण/जॉच के दौरान कार्य को विशिष्टियों के अनुसार ठीक एवं संतोषजनक पाया गया, जिसमें किसी प्रकार की शासकीय क्षति परिलक्षित नही हुई है, के दृष्टिगत निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या-61/अव0अभि0/व्य0प0/एस-278/पत्रा0सं0-222/2021-22 दिनांक 10.05.2021 द्वारा दिये गये उक्त दण्डादेश के स्थान पर निर्माण कार्यो में बरती गयी शिथिलता व लापरवाही के लिये श्री शालभद्र कुमार जैन, तत्कालीन अवर अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मेरठ सम्प्रति प्रखण्ड-अमरोहा को परिनिन्दित करते हुये एतदद्वारा समाप्त किया जाता है।

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

संख्या-17/2022/203प्र0स0(1)/92-2-2022 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।

2- मुख्य अभियंता (प0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग उ0प्र0 लखनऊ।

3- अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग प्रखण्ड-मेरठ।

4- श्री शालभद्र कुमार जैन, तत्कालीन अवर अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मेरठ सम्प्रति प्रखण्ड-अमरोहा द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

5- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रमाकान्त शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।